टाइटल VI शिकायत

नागरिक अधिकार अधिनियम, 1964 के टाइटल VI में कहा गया है: "संयुक्त राज्य में किसी भी व्यक्ति को नस्ल, रंग, या राष्ट्रीय उत्पत्ति के आधार पर, संघीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी कार्यक्रम या गतिविधि (जिसमें सह-प्राप्तकर्ता भी शामिल हैं) में भागीदारी से वंचित नहीं किया जाएगा, लाभों से रोका नहीं जाएगा, या भेदभाव के अधीन नहीं किया जाएगा।"

यदि आपको लगता है कि एजेंसी के कार्यक्रमों या गतिविधियों के कारण आपकी नस्ल, रंग, या राष्ट्रीय उत्पत्ति (जिसमें सीमित अंग्रेजी दक्षता भी शामिल है) के आधार पर भेदभाव हुआ है, तो आप कथित घटना की तारीख से 180 दिनों के भीतर नीचे दिया गया फॉर्म भरकर सिटी ऑफ़ सैमामिश के साथ औपचारिक शिकायत दर्ज करने का अधिकार रखते हैं।

टाइटल VI समन्वयक:
titlevicoordinator@sammaish.us, (425) 295 0500;
801 228th Avenue SE, Sammamish, WA 98075

आपकी जानकारी

नाम

ईमेल | फोन

फोन कॉल के लिए दिन का सबसे अच्छा समय

○ सुबह 7 - 10 ○ सुबह 10 - दोपहर 1 ○ दोपहर 1 - 4 ○ दोपहर 4 - 7

पता

शहर/कस्बा | राज्य/प्रांत | ZIP/पोस्टल कोड

घटना की जानकारी

कथित भेदभाव किस आधार पर हुआ था? सभी लागू विकल्प चुनें

☐ नस्ल ☐ रंग ☐ राष्ट्रीय उत्पत्ति (सीमित अंग्रेजी दक्षता सहित)

कथित घटना की तिथि

कथित भेदभाव के लिए जिम्मेदार एजेंसी या व्यक्ति(यों)

नाम	फोन	पता	शहर/कस्बा	राज्य/प्रांत	ZIP/पोस्टल कोड

कथित भेदभाव का वर्णन करें। कृपया बताएं क्या हुआ, आपको क्यों लगता है कि ऐसा हुआ और आपके साथ कैसे भेदभाव किया गया। जिन लोगों का इसमें योगदान था, उन्हें संकेत करें। सुनिश्चित करें कि आपने यह भी बताया कि आपको क्यों लगता है कि अन्य व्यक्तियों के साथ अलग व्यवहार किया गया।

कथित भेदभाव के लिए आप किस प्रकार का समाधान/उपाय चाहते हैं? कृपया ध्यान दें कि इस प्रक्रिया का परिणाम दंडात्मक हर्जाने या वित्तीय मुआवजा नहीं होगा।

अन्य पक्ष

कृपया किसी भी अन्य व्यक्ति की सूची दें जिन्हें हम आपकी शिकायत के समर्थन में अतिरिक्त जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। कृपया संपर्क जानकारी (ईमेल, फोन और डाक पता) शामिल करें।

नाम	फोन	पता	शहर/कस्बा	राज्य/प्रांत	ZIP/पोस्टल कोड

अतिरिक्त जानकारी

किसी अन्य एजेंसी के साथ आपने यही शिकायत दर्ज की है तो उनका नाम बताएं।

एजेंसी का नाम	राज्य/प्रांत

अतिरिक्त जानकारी